

मूल वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उत्तवान

बनाम

श्रीमान-श्रीमती राजेश चंद्र शर्मा व श्रीमती शकुंतला चौधरी  
विरुद्ध श्रीमती शकुंतला चौधरी

मुकदमा नम्बर :- 150/21


निर्णय दिनांक :- 02.10.21

वादी की ओर से वकील श्रीमती विपिनिका की व प्रतिवादी सं० - की ओर से वकील श्रीमती गजोत्सवी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.10.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शुभाकिश राजीनामा चक्र 150R के खता सं० 33/61 के मु० न० 33 जिला न० 16/1, 17, 18, 19/2, 22/2, 23-24, 25/1 की खत 1.518 है० चक्र 15-AM-5 के खता सं० 34/78 के मु० न० 55 के जिला 20, 21 मु० न० 56 जिला न० 16 ता 18, 24/2, 25/2 डी 1.367 है० चक्र 17-AM-5 के खता सं० 60/65 के मु० न० 12 जिला न० 1 ता 5, 7 ता 9, 6/2, 10 डी 2.505 है० वाद भूमि जो परिवारी सं० 1 के नाम दर्ज है, उसमें परिवारी सं० 1 व वाप वाली व परिवारी सं० 1 ता 5 जो परिभाषा काठ के अनुसार ल्याबेयर अरमजर बांधि डिपे जाते व परिवारी सं० 6 हात हउ रिहा वाली व प्रति सं० 1 ता 5 के पत्र में बाज हउ हुन उर रिहा है। इसलिये बाज डिपे रिहले पर पंजीशन शुल्क व दक्षि भूमि बंद रहले है तो रहले मुम होने पर उपरोक्त अनुसार रिडॉर्ड उरुल डिपे जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्या डिफ्री आज दिनांक 02.10.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुंतला चौधरी)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जेला हनुमानगढ़